[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India Ministry of Finance Partment of Revenue
ral Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION - New Delhi, the 18th January, 2018 Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes)

S.O.....(E).- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the Central Registry for Securitization Asset Reconstruction and Security Interest of India, a body set up under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002, in respect of the following specified income arising to that body, namely:-

fee income from Security Interest transactions; 1.

- fee income from transactions on Central KYC (CKYC) Records Registry;
- interest income on fixed deposits and on saving bank account; and 3.

RTI application fee. 4.

This notification shall be effective subject to the conditions that Central Registry for Securitization Asset Reconstruction and Security Interest of India,-

shall not engage in any commercial activity; (a)

- activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the (b) financial years; and
- shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) (c) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
- This notification shall be deemed to have been applied for the financial Years 2013-2014, 2014-3. 2015, 2015-2016, 2016-2017 and shall apply with respect to the financial year 2017-2018.

[Notification No. 7 /2018, F.No.196/29/2013-ITA-I]

Under Secretary to the Government of India

Explanatory Memorandum:-It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

To

The Manager, Government of India Press, Mayapuri Press, New Delhi.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ] भारत सरकार

वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

<u>अधिसूचना</u>

नई दिल्ली, दिनांक: 18 जनवरी, 2018

केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 मा 43) की धारा 10 के खंड (46) का.आ. द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए सेक्युरेटाइजेशन एंड रिकंट्रक्शन ऑफ फाइनेंशल एसेटस एंड इंफोर्समेंट आफ सिक्युरिटी इंट्रस्ट (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम, 2002 के तहत गठित निकाय, सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर सेक्युरेटाइजेशन एसेटस रिकंट्रवशन एंड सिक्युरिटी इंट्रस्ट आफ इंडियाको, उसे होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के सबंध में एततद्वारा अधिसूचित करती है यथा:-

- 1. प्रतिभूति ब्याज लेनदेन से होने वाली शुल्क आय
- 2. केंद्रीय केवाईसी (सीकेवाईसी) रिकार्डस रजिस्ट्री पर लेनदेन से होने वाली शुल्क आय
- 3. साविध जमा और बचत बैंक खाते पर ब्याज से होने वाली आय और,
- 4. आरटीाआई आवेदन शुल्क।
- यह अधिसूचना इस शर्त पर लागू होगी किसेंट्रल रजिस्ट्री फॉर सेक्युरेटाइजेशन एसेटस रिकंट्रक्शन एंड सिक्युरिटी इंट्रस्ट आफ इंडिया-
 - किसी अन्य वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा; (क)
 - वितीय वर्ष में विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति व गतिविधि अपीवर्तनीय रहेगी; और (ख)
 - यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (च) के प्रावधानों के (ग) अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।
- यह अधिसूचना वितीय वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17से लागू हुई समझी जाएगी एवं 3. यह वित वर्ष 2017-18 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना संख्या 3 /20 8, फा.सं.196/29/2013-आईटीए-।]

(विनय शील गौतम)

अवर सचिव, भारत सरकार

व्याख्यात्मक जापन:- यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सेवा में

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मायाप्री, नई दिल्ली।